दिनांक.........

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना गया।
23.3.26 हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
आदेश दिनांक 12.10.2020 के विरुद्ध पेश की गयी है
जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने एडवोकेट प्रार्थी को एकपक्षीय
सुनकर आगामी तारीख पेशी तक (दिनांक 12.01.2021)
इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की कि
आ.ख.नं. 738/0.34, 739/0.36 किता 2 कुल रकबा
0.70 हे. वाके ग्राम ~~स~~ रारौदा तह. बयाना के रिकार्ड एवं
मौके की यथास्थिति बनाये रखे, इस बाबत कोई आपत्ति हो तो
नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा में उपस्थित हो।
इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा और अपील आदेश
जो पारित किया गया है वह अन्तिम आदेश नहीं होकर
अन्तरिम आदेश है क्योंकि यह मात्र आगामी तारीख पेशी
तक ही जारी किया गया था। अपीलार्थी को कोई आपत्ति
थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना
जवाब व आपत्ति पेश करते लेकिन ऐसा नहीं करके उक्त
अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील पेश की है। माननीय
न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की फुल बैंच
द्वारा प्रकरण उनवान जगदीश बनाम ओमप्रकाश में पारित
निर्णय दिनांक 12.3.2014 (RRT 2014 (1) Page 409)
में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि धारा 212
आर.टी.एक्ट के प्रावधान-तहत पारित व अन्तरिम
एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारीख पेशी तक के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिए गए हो उनकी अपील में अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसी निर्णय में RRT 2014(1) पेज 410 पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस प्रकार मत पारित किया गया है:-

Revenue Appellate Authority has no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing.

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरे अपील आदेश दिनांक 12.10.2020 अंतिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है एवं ऐसा आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने समक्ष लम्बित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रकरण सं. 173/20 को उभयपक्ष की सुनवाई कर आगामी 2 माह में अंतिम रूप से निस्तारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(signature)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)